औरंगज़ेब की शहादत पर बोला यूपी पुलिस का सिपाही, 'मैं कितना गलत था जो 'औरंगज़ेब' से नफरत करता था'

अखंड भारत बनाने वाले मुग़ल बादशाह औरंगजेब से नफरत करने वालो की कमी नही है. इस नफरत के पीछे दक्षिणपंथी हरकतों के वे आंकड़े हैं जो सच्चाई पर तो खरे नहीं उतरते लेकिन इतिहास से अनजान लोग उन्हें ही सच मानकर बैठ जाते हैं। और औरंगजेब से नफरत करने लगते हैं।

हद तो यहां तक हो जाती है, जब लोग न सिर्फ औरंगजेब के नाम नफरत करते हैं बल्कि अगर कोई मां बाप अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख दें तो उस बच्चे से भी नफरत करने लगते हैं। ऐसी ही एक गलती का एहसास एक पुलिसकर्मी को हुआ है। यह पुलिसकर्मी भी औरों की तरह औंरगजेब से नफरत करता था, लेकिन गुरूवार को कश्मीर में शहीद हुए आरआर राईफल के जवान औरंगज़ेब ने इस सिपाही की धारणा को बदल दिया।

यूपी पुलिस के एक सिपाही ने औरंगजेब नाम से नफरत करने के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि वो बचपन से ही इस नाम से नफरत करते थे लेकिन अब उन्हें पता चला कि वे गलत थे. उन्होंने अपनी पोस्ट लिखा है वे तैमूर की तरह औरंगजेब के नाम से भी नफरत करते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो गलत सोचते थे,उनके अंदर ये बदलाव कश्मीर में सेना के जवान औरंगजेब के हालाक किये जाने के बाद आया है.दरअसल औरंगजेब की पिछले दिनों ईद की छुट्टी पर घर जाते वक़्त आतंकवादियों द्वारा अपहरण किये जाने के बाद हालाक किये जाने के वज़ह से पूरी देश में इस शहादत की चर्चा हुई.

सोशल मीडिया पर औरंगजेब का विडियो भी प्रसारित हुआ है, आखरी दम तक ये सैनिक आंख में आंख डालकर दुश्मन को देख रहा था. इसी ज़ज्बे से प्रभावित होकर सिपाही जितेन्द्र यादव ने ट्विट्टर पर लिखा "Heroes In Uniform" तैमूर की तरह औरंगजेब नाम भी मुझे कभी नहीं भाया, दोनों नाम जब जैहन में आये,क्रूरता का वो भयानक मंजर नजर आया,जो खून में रंगा था,मै कितना गलत था अब समझ आया,नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त तुमने इस नाम में भी तिरंगे के रंग भर दिए,तुम्हारी शहादत हमेशा याद रहेगी

- जानवी मिश्रा

खबर (दार) झरोखा | **विकास नारायण राय**

हिंदुत्व के समय में अटाली से ईद मुबारक

इस बार मीडिया और एनजीओ बिरादरी के लिए ईद पर अटाली की खोज-खबर

> "इस दौर ए सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है" ~ मिर्ज़ा ग़ालिब (1877)

लेने जाना कहीं अधिक आसान होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसी मई में प्रधानमन्त्री मोदी ने बड़े धूम धड़ाके से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। पेरिफेरल वे के फरीदाबाद में एकमात्र निकास, मौजपुर गाँव से वल्लभगढ़ कस्बे की दिशा में बढ़ने पर अगला गाँव ही तो अटाली हुआ।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के खुल जाने से अब बड़े-बड़े ट्रक और ट्राले अटाली के बीच से गुजरती पतली-इकहरी सड़क पर चलने लगे हैं, जो बेतहाशा ट्रैफिक के इस नए बोझ को ढोने में पूरी तरह असमर्थ है। बेशक, अनवरत शोर, बढ़ते प्रदूषण और संभावित दुर्घटनाओं के बावजूद कोई शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि इस आमदरफ्त से दुकानों की बिक्री भी बढ़ गयी है। लोगों को प्रशासन की ओर से बताया गया है कि भविष्य में यह सड़क चौड़ी की जायेगी। कब मोदी विकास मॉडल में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता।

तीन साल पहले, मई 2015 में अटाली की करीब डेढ़ सौ घरों की समूची मुस्लिम आबादी गाँव से पलायन को विवश कर दी गयी थी। पहले उन्होंने वल्लभगढ़ पुलिस थाने में कुछ दिन शरण ली और फिर वे फरीदाबाद शहर और आस-पास के इलाकों में रिश्तेदारों और दोस्तों की शरण में चले गए। अब तक करीब आधे घर ही गाँव लौटने का साहस कर पाए हैं। पूरी आबादी के वापस आते-आते न जाने कितने साल लग जाएंगे। गाँव में पुलिस की आज तक भी नियमित उपस्थिति इस दुखद प्रसंग के जल्द अंत की बानगी तो नहीं हो सकती।

अड्डा यानी गाँव का मुख्य बाजार, बीच में पड़ेगा। शुरूआत में, हरिजन चौपाल के पास जाटव (दलित) समुदाय के लोगों की चंद दुकानें पड़ती हैं। चाय, अंडा, किरयाना, मोबाइल रिचार्ज मार्का। वहां दबी जबान में बताया गया कि इस बार मुस्लिम समुदाय की ईद सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुयी। यह भी कि सभी वापस आ गए पलायित गाँव में सुरक्षित महसूस करते हैं और जिंदगी का सामान्य ढर्रा लौट आया है।

हालाँकि अविश्वास और तनाव भरे वे दिन कोई नहीं भुला सकता। 'आग बुझ जाये, चिंगारी तो रहती है', उस दौर के एक मुख्य किरदार बिजली ठेकेदार हाजी अली ने फोन पर कहा। वे अब नियमित रूप से गाँव से 25 किलोमीटर दूर फ़रीदाबाद सेक्टर 48 में रहते हैं।

हरियाणा में पहली भाजपा सरकार को अक्तूबर 2014 में शपथ लिए अभी बमुश्किल छह माह हुए थे। तभी, पंचायत चुनाव की बेला में, गाँव में दो भू- स्वामी जाट समूहों की परस्पर उठा-पटक ने मुख्यत: बेलदारी श्रम पर आधारित मुस्लिम आबादी को साम्प्रदायिक उत्पीड़न के चपेटे में ले लिया। तनाव बढ़ाने का बहाना बना, गाँव के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन पर नमाज पढ़ने वालों के लिए मस्जिद बनाने की हलचल।

इस जमीन की मिल्कियत को लेकर स्थानीय निचली अदालत से फैसला मार्च 2015 में वक्फ बोर्ड के हक में आ चुका था। अब, इसी अप्रैल में, सेशंस अदालत से अपील भी उनके हक में हो चुकी है। फिलहाल, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट में गया हुआ है और वहां का निर्णय आने तक विवादित भू-खंड पर निर्माण कार्य करने पर रोक लगी रहेगी।

एक जाटव दुकानदार ने कहा, बिना बात का बवाल है यह। 'हिन्दुओं के इतने मंदिर हैं तो मुसलमानों को भी जगह चाहिए अपनी नमाज के लिये।' यानी चिंगारी तो है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद आग लगेगी या नहीं, कौन जानता है। हाँ, यह जाहिर है कि मोदी का पेरिफेरल वे भी समस्त विस्थापितों को गाँव वापस नहीं ला सका।

2015 में एक जाट धड़े ने नमाज स्थल को गाँव के बाहर कब्रिस्तान के पास स्थानांतरित करने का मुद्दा आक्रामक रूप से उठाया और अंतत: मुसलमानों पर धावा बोल दिया गया। भाजपायी सरकारों की रणनीति के अनुरूप यहाँ भी प्रशासनिक निष्क्रियता ही रही। इसके चलते, मुस्लिम आबादी को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें काम मिलना बंद हो गया और गाँव के बाजार में उन्हें सामान न देने का ऐलान लागू कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें कहीं आने-जाने के लिए यातायात साधनों के भी लाले पड़ गए। समुदाय में सबसे समृद्ध, हाजी अली का घर फूंक दिया गया।

उस दौरान, राजनीति और मीडिया की दिलचस्पी से उभरे मिश्रित स्वरों का इतना असर जरूर हुआ कि कुल दर्ज हुए इक्कीस मुकदमों में एक सौ नौ व्यक्ति आरोपी बनाये गए। दो मुकदमे पलायित मुस्लिमों पर भी कायम हुए। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ अरसे तक पड़ताली टीमों की गूंज बनी रही। तमाम मुकदमों में अभी भी पेशियाँ चल रही हैं, जबकि सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक भाजपा कमजोर पड़ रही है और हिंदुत्व उतना ही उग्र। अटाली पलायन के दो माह बाद अनेकों विस्थापितों से मिलने पर, उनके भीतर से निकलते डर और विवशता के स्वरों में तब भी यह ध्वनि मिली थी कि सुरक्षा का भरोसा होने पर वे वापस जाना चाहेंगे। इनके पुरखे विभाजन में भी गाँव से नहीं गये थे; जाहिर है, हिंदुत्व के समय में शासन- प्रशासन सभी को सुरक्षा का इत्मीनान नहीं दिला सका है। बहरहाल, इस बार गाँव में ईद तो मनी!

क्या देश अमीरों के टैक्स के पैसे से चलता है? नहीं!

अक्सर उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग द्वारा यह कहा जाता है कि देश उनके पैसे से चल रहा है। वही लोग हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं जिससे सारे काम होते हैं, ग़रीब लोग तो केवल सब्सिडी, मुफ़्त सुविधाओं आदि के रूप में उन टैक्स के पैसों को उड़ाते हैं। इस प्रकार ग़रीब आम जनता देश पर बोझ होती है। दरअसल यह एक बड़ा झूठ है जो काफ़ी व्यापक रूप से लोगों में फैला हुआ है। अगर आँकड़ों के हिसाब से देखा जाये तो कहानी इसकी उल्टी ही है। सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका बड़ा हिस्सा इसी ग़रीब आम जनता की जेबों से आता है। आइए देखते हैं कैसे।

आमतौर पर उच्च मध्यवर्ग का यह तर्क रहता है कि चूँकि टैक्स ढाई लाख से ऊपर की आमदनी वाले व्यक्ति पर ही लगता है, इसलिए केवल वही लोग कर (टैक्स) देते हैं जिनकी सलाना आय ढाई लाख से ज़्यादा है। पर जिस कर की वो बात कर रहे हैं वो आमदनी के ऊपर कर है। आयकर ही एकमात्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आयकर से सरकार को बहुत कम आमदनी होती है।

सरकार दो तरीके के टैक्स वसूलती है -

1. प्रत्यक्ष कर
2. अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर में आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स या निगम कर आते हैं जबकि अप्रत्यक्ष कर में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, राज्यों का वैट टैक्स (इनको मिलाकर अब वस्तु और सेवा कर बना दिया गया है), कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि टैक्स आते हैं।

सरकार को इन सबसे आमदनी होती है, जिससे सरकार बजट बनाती है। मध्यम और उच्च वर्ग में फैली ये ग़लत धारणा कि उनके टैक्स के पैसों से देश चलता है, हर साल की कर वसूली के आँकड़ों को देखते ही धाराशाही हो जाती है।

वित्त वर्ष 2017-18 की बात करें तो कुल कर उगाही 19,46,119 करोड़ रुपये थी। इसमें कॉरपोरेशन कर 5,63,744 करोड़ रुपये था और आयकर 4,41,255 करोड़ रुपये था। अगर कुल बजट के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आयकर वसूली कुल बजट का मात्र 22प्रतिशत हुई थी। यही वह 22प्रतिशत है जिसके लिए मध्यवर्ग और उच्चवर्ग यह सोचते हैं कि वही देश चला रहे हैं, बाक़ी तो बोझ हैं। दूसरी तरफ़ अगर देखा जाये तो इसी दौरान अप्रत्यक्ष करों से 9,41,119 करोड़ रुपये की आय हुई थी। जिससे सरकार को 2017-18 में कुल राजस्व की 48प्रतिशत प्राप्ति हुई थी।

पर यह पूरी तस्वीर नहीं है। दरअसल ऊपर जिस कॉरपोरेशन कर (जो कि कुल राजस्व का 29 प्रतिशत है) की बात की गयी है, वो भी जनता को चुकाना पड़ता है। कॉरपोरेशन टैक्स किसी कम्पनी के कुल मुनाफ़े पर लगने वाला कर है। भारत में यह 30प्रतिशत की दर से लगता है तथा इस पर सरचार्ज व सेस भी लगता है। कम्पनी द्वारा चुकाया गया कर वास्तव में किसके द्वारा चुकाया जाता है, क्योंकि कम्पनी एक व्यक्ति नहीं है? वास्तव में इसका भुगतान भी उस ग्राहकों को करना पड़ता है, जो वो उत्पाद ख़रीदते हैं। माल के पैदा होने की प्रक्रिया में उसके मूल्य में वृद्धि श्रम के द्वारा पैदा होती है, जो देश के करोड़ों मज़दूरों-कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस दाम में हुई वृद्धि का बहुत छोटा हिस्सा मज़दूर को मज़दूरी के रूप में मिलता है, बाक़ी अलग-अलग स्तरों पर फ़ैक्टरी मालिक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं आदि के बीच मुनाफ़े के रूप में बँटता है।

इस प्रकार मुनाफ़े पर दिया गया कर भी दरअसल मज़दूर द्वारा पैदा किये गये मूल्य पर प्राप्त मुनाफ़े पर होता है। साथ ही मुनाफ़ा वसूली (प्रॉफ़िट रियलाइज़ेशन) उत्पाद के बिकने की प्रक्रिया में ही होता है। अगर कोई 100 रुपये का सामान ख़रीदता है जिसकी मज़दूरी सहित लागत 60 रुपये है और बाक़ी 40 रुपये अलग-अलग स्तरों पर मुनाफ़े के रूप में बँटते हैं तो उस मुनाफ़े पर अलग-अलग स्तरों पर दिया गया टैक्स ग्राहक द्वारा सामान के बदले दिये गये पैसे (100 रु.) से ही दिये जाते हैं। क्योंकि मुनाफ़ा मूल्य वृद्धि (वैल्यू एडिशन) और माल विक्रय (वैल्यू रियलाइज़ेशन) की चक्रीय प्रक्रिया में ही पैदा होता है, जबकि फ़ैक्टरी मालिक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि इस प्रक्रिया में बस बीच के माध्यम के रूप में काम करते हैं। अगर माल पैदा हो पर उसको ग्राहक न ख़रीदे तो उस पर कुछ मुनाफ़ा नहीं होगा, फिर मुनाफ़े म पर कर देने का सवाल ही पैदा नहीं। इस प्रकार कॉरपोरेशन कर अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता से ही वसूला जाता है। इसको भी अगर जनता द्वारा चुकाये गये अप्रत्यक्ष करों में जोड़ दिया जाये तो आम जनता ही कुल राजस्व का 78 प्रतिशत भाग चुकाती है।

कुछ लोग कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर भी तो मध्यवर्ग और उच्च वर्ग द्वारा ही ज़्यादा दिया जाता है। यह सच है कि अप्रत्यक्ष कर उन सभी को देना पड़ता है जो कोई सामान ख़रीदते हैं, सेवा का उपभोग करते हैं। लेकिन अगर हम भारत में आयकर देने वाले करदाताओं का स्लैब देखें, तो पता चलता है कि भारत में आयकर देने वाला वर्ग बहुत छोटा है। 2015-16 के अनुसार केवल 1.7प्रतिशत लोग आयकरदाता हैं। इसलिए निम्न मध्यवर्ग और निम्न वर्ग से ज़्यादा ख़र्च करने के बावजूद इस कुल 1.7प्रतिशत आबादी द्वारा अप्रत्यक्ष कर में योगदान बहुत कम है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस देश में एक भिखारी भी टैक्स देता है। अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आख़िर एक व्यक्ति या परिवार औसतन कितना कर देता है?

इस सवाल का जवाब काफ़ी अचम्भित करने वाला है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हमेशा पर्दा डालने को कोशिश की गयी है। अगर आप आयकर देते हैं तो आपको पता होता है कि आपने साल में कितना टैक्स दिया, पर अगर आप यह जानना चाहे कि आपने साल में कितना अप्रत्यक्ष कर दिया तो ये बहुत मुश्किल है। यहाँ हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति कितना अप्रत्यक्ष कर देता है।

फ़ेडरेशन ऑफ़ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फ़िक्की) द्वारा 2007 के एक अध्ययन के मुताबिक़ किसी उत्पाद के दाम का औसतन 35प्रतिशत टैक्स होता है। तबसे आज तक कई बार टैक्स बढ़ाया जा चुका है, व कई तथाकथित टैक्स सुधार भी हो चुके हैं। आज पेट्रोल उत्पादों पर 100प्रतिशत से भी ज़्यादा टैक्स है, बाक़ी सामानों पर भी टैक्स पहले से काफ़ी बढ़ाया जा चुका है, इसलिए ये 35प्रतिशत का आँकड़ा आज 40 से 45प्रतिशत तक पहुँच गया है। एक मोटा-मोटी गणना के लिए अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में ख़र्च पर औसत 30प्रतिशत कर की दर लेकर चले (क्योंकि कुछ ख़र्च टैक्स की सीमा से बाहर हैं व कुछ पर टैक्स कम है) तो भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है।

अगर एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये सालाना है जिसमें वो 4 लाख परिवार के वहन में ख़र्च कर देता है बाक़ी कुछ पैसे बचत करता है। इस हिसाब से उसको आयकर कितना देना पड़ेगा?

ढाई लाख से ऊपर की आमदनी का 5 प्रतिशत जो कि 12500 रुपये होता है। अब देखते हैं कि उसको अप्रत्यक्ष कर कितना देना पड़ता है। अगर 4 लाख रुपये सामानों और सेवा के ऊपर ख़र्च करता है तो 30प्रतिशत के हिसाब से उसको क़रीब 1,20,000 रुपये टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में देना पड़ेगा। इस राशि की तुलना में आयकर कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है कि एक मध्यम आय वाले व्यक्ति को आयकर के मुकाबले क़रीब 10 गुना ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। हर साल बजट आने पर लोग यह तलाशते हैं कि आयकर की दर कम हुई कि नहीं, जबकि सबसे बड़ा कर का बोझ अप्रत्यक्ष कर का होता है।

एक व्यक्ति जिसकी आमदनी ढाई लाख तक है उसको आयकर नहीं देना पड़ता, पर उसको क़रीब 75,000 रुपये अप्रत्यक्ष कर देना होता है। इस देश का एक मज़दूर परिवार जिसमें दो लोग 10 हज़ार रुपये की मज़दूरी करते हैं और साल में 2,40,000 रुपये कमाते हैं जो सारा उनके ऊपर व्यय होता है, ऐसे में वो 72,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। यह बात साफ़ है कि अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर से ज़्यादा चिन्ताजनक है। इसका एक कारण और है। अप्रत्यक्ष कर की दर सबके लिए समान रहती है, जिससे एक मज़दूर भी उसी दर से टैक्स दे रहा होता है, जिस दर से उसका अरबपति मालिक। इसको समझने के लिए भी एक उदाहरण ले सकते हैं। एक मज़दूर परिवार की आय अगर ढाई लाख सालाना है और ख़र्च 2 लाख है तो उसको 60 हज़ार अप्रत्यक्ष कर देना होता है। वहीं अगर एक मालिक की आय 1 करोड़ रुपये सालाना है और ख़र्च 30 लाख रुपये है (आमदनी बढ़ते जाने पर बचत का हिस्सा बढ़ता जाता है) तो इस हिसाब से उसको 9 लाख अप्रत्यक्ष कर देना होता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा लगता है लेकिन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो मज़दूर परिवार अपनी कुल आय का 24 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर में देता है, जबकि मालिक अपनी कुल आय का 9प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर में देता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें दाँव-पेंच की काफ़ी गुंजाइश होती है, अपनी आय कम दिखाना, फ़र्ज़ी डोनेशन, ऋण दिखाना आदि तरीको का व्यापक इस्तेमाल करके मालिक अपनी आय का काफ़ी हिस्सा छुपा लेता है।

यही कारण है कि भारत में आयकरदाताओं की संख्या इतनी कम है। वास्तव में मालिक इन तिकड़मों का इस्तेमाल कर 10-15प्रतिशत के आसपास ही आयकर देते हैं। इसको भी ऊपर की संख्या में जोड़ दें तो भी मालिक अपनी आय का कुल 20-25 प्रतिशत ही टैक्स देते हैं। इस प्रकार एक मज़दूर और एक अरबपति दोनों को अपनी आय का लगभग समान हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता है, जबकि मज़दूर परिवार की आय ही बहुत कम होती है। स्पष्ट है कि यह कराधान प्रणाली आम जनता/मज़दूरों के लिए काफ़ी अन्यायपूर्ण है।

ऊपर के आँकड़ों से ये बात साफ़ हो जाती है कि देश के कुल राजस्व का क़रीब 80 प्रतिशत देश की आम जनता की जेबों से आता है। ऐसे में उच्च मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग का ये दम्भ भरना कि देश को वही लोग चला रहे हैं- बिल्कुल बेबुनियाद और बेवक़ूफ़ी भरा है। इस देश की करोड़ों आम मेहनतकश जनता के दम पर यह देश चलता है। उनकी मेहनत के दम पर भी और उनके पैसे के दम पर भी। वास्तव में ये मालिक लोग ही हैं जो देश के ऊपर बोझ हैं, जो खुद कुछ भी पैदा नहीं करते और आम जनता की मेहनत को निचोड़कर अन्धाधुन्ध सम्पत्ति बटोरते हैं।

-गिरीश मालवीय